

व, बचाव का पहला कदम :-

जांच :-

(Pulmonary) (IOS)
(Spirometry Technique)
(Spirometry Function Test)
(Fractional exhaled Nitric Oxide)

एलर्जी की जांच :-

● Allergy Test ● IgE Test
● Food Allergy Test
● Skin Prick Test
● CRD Molecular Test

scopy and Thoracoscopy की सुविधा उपलब्ध

सुविधा उपलब्ध है रिस्स हॉस्पिटल मुद्दैला, चांदपुर
रोड, वाराणसी (कृषि भवन के सामने)

दुर रोड, वाराणसी (कृषि भवन के सामने) Helpline Number :- 7307272241, 9120029776 ● www.drvikasjaiswal.com



लंग+ प्लस क्लिनिक

Superspeciality Chest & Allergy Clinic

डॉ. विकास जायसवाल

DNB (Respiratory Medicine), DTCO, MBBS
Chest Physician and Critical
Care Expert



पूर्वावल के पहले - IOS सिस्टम लाने वाले
मोपलिग्रुप एंटीबॉडी थेरेपी देने वाले (अस्थमा में) चेंस्ट फिजिशियन

महिला होमगार्ड ने रस्सी से फंदा लगाकर दी जान, दो लोग गिरपतार

जागरण संवाददाता, वाराणसी : चितईपुर थाना क्षेत्र के नेवादा स्थित हनुमंत कृपा अपार्टमेंट के प्रथम तल पर रहने वाली 35 वर्षीय महिला होमगार्ड अनुराधा तिवारी ने बुधवार की देर रात कमरे में रस्सी से फंदा लगाकर जान दे दी। मृतका के बेटे ने मां को फंदे पर लटकता देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। वहीं, फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किया। पुलिस ने गुरुवार को मामले में मृतका की सास की तहरीर पर केस दर्ज कर एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जानकारी के अनुसार अनुराधा के पति की तीन साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद अनुराधा को होमगार्ड की नौकरी मिली थी। पिछले महीने अनुराधा की ड्यूटी चितईपुर थाने में लगी थी। बुधवार को ड्यूटी से घर आने के बाद रात में वह अपने कमरे में चली गई थी। सास का कहना है कि पति की मौत के बाद अनुराधा बांदा निवासी अजय पांडेय नामक फार्मासिस्ट के संपर्क में आई थी। अजय की दवा कंपनी भी है। एक वर्ष पहले

अजय के ऑफिस में काम करने के लिए अंजली नामक युवती आई, जिसके बाद अजय उसके करीब हो गया। आरोप है कि अजय ने अनुराधा के रुपये हड़प लिए थे। यह रकम कितनी थी, मालूम नहीं हो सका है। सास के अनुसार अजय पांडेय और अंजली ने उनकी बहू को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है।



अनुराधा तिवारी
रखन

वर्ष से काम करती है। जांझ के दौरान पता चला कि महिला होमगार्ड अनुराधा तिवारी ने आरोपित अजय पांडेय के लिए कई लाख का लोन भी लिया था जिसका किश्त आरोपित ही भरता था। लेकिन कई महीने से वह किश्त भी नहीं भर रहा था। इसको लेकर भी झगड़ा हो चुका था। एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है।

10 करोड़ 80 लाख की जमा कराई अफीम जास, वाराणसी : जैतपुरा थाने में वर्ष 2012 में दर्ज मुकदमे में जब्त की गई 558 किलो अफीम दस साल से अधिक समय बाद निस्तारित कराई गई। इसकी कीमत 10 करोड़ 80 लाख रुपये बताई गई। टीम जब्त अफीम लेकर गाजीपुर स्थित केंद्रीय अफीम एवं शराब कारखाना पहुंची, जहां नियमानुसार उसका निस्तारण कराया गया।

InstaRoof
गर्माई में ठंडक, बारिश में दुहा, जाड़े में गर्माहट।
RINAC
InstaRoof सफाई पैनल
जलवायु रक्षा, ताप नियंत्रण, शक्ति बचत।

2625 से गवर्नर जगदीश (भगवत महारथ जन्म केन्द्राणक) की हाथक बधाई और शुभकामनाएं।

जैन एजेंसीज
17 गेजल हॉटेल, मधुबनी, वाराणसी-221002
9354959015, 9354959015, 9354959015
प्रमाणपत्रों के साथ ही काम

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय कार्यालय - प्रथम तल, बड़ौदा भवन, प्लॉट नं० 24, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, चोंडपुर, वाराणसी - 221106 (30/00)

विक्रय सूचना

अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए सूचना
अर्गुत-IV-A (नियम 8(6) सपटित नियम 9(1) के प्रावधान देखें)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सपटित प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपटित नियम 9(1) के प्रावधान के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्वारा जनसाधारण एवं ऋणी/जमानतकर्ता को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभार युक्त सांकेतिक सम्पत्ति को, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया गया है, को बैंक के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा "जो है, जहाँ है", "जो है जैसे है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर ई-नीलामी/बिक्री की जायेगी। ऋणी/जमानतकर्ता/प्रतिभूति आर्क्ष/देय/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (ईएमडी) एवं बिड ब्रह्मोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है:-

नीलामी की तिथि : 28.10.2026 समय दोपहर 02:00 से सायं 06:00 बजे तक
सम्पत्ति निरीक्षण तिथि व समय : 26.10.2026 सुबह 10:00 से सायं 05:00 बजे तक
धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का भुगतान ऑनलाईन एनईएफटी (चालान निष्पादन के बाद) या यूपीआई (UPI) के द्वारा (https://baanknet.com) के द्वारा दिनांक 27.10.2026 तक या उससे पहले किया जायेगा।

क्र.सं.	ऋणीकर्ता/प्रोपराइटर का नाम एवं पता और शाखा	अचल सम्पत्ति का विवरण	कुल बकाया	आरक्षित मूल्य अग्रिम धनराशि बिड ब्रह्मोत्तरी धनराशि	कब्जा की स्थिति (सांकेतिक/भौतिक)
1.	ऋणीकर्ता: मेसर्स के डी टेक्सटाइल्स प्रोपराइटर: कमालुद्दीन पुत्र हाजी इकबाल अहमद पता: मकान नम्बर ए 39/46-आ-का, अराजी नम्बर 161/2 व 170, सरैया मोहल्ला, मौजा-अमरपुर, वार्ड-आदमपुर, परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी-221101 शाखा-अर्दली बाजार, वाराणसी	सभी भाग अचल सम्पत्ति भूमि एवं भवन जिसका मकान नम्बर ए 39/46-आ-का, जिसका अराजी नम्बर- 161/2 व 170 स्थित मोहल्ला- सरैया, मौजा- अमरपुर, वार्ड- आदमपुर, परगना- देहात अमानत, तहसील व जिला- वाराणसी जिसका क्षेत्रफल- 1624.50 वर्ग फीट यानि 150.97 वर्ग मीटर, जो कि श्री कमालुद्दीन के नाम में है। चौहद्दी - पूर्व: नसीम का मकान व डॉ० गणपार की खाती जमीन, पश्चिम: डॉ० तालामूल की चहदीवारी, उत्तर: कच्चा रास्ता 10 फीट चौड़ा, दक्षिण: कच्चा रास्ता 8 फीट चौड़ा	₹ 87,02,413.00 + ब्याज दिनांक 30.10.2025 से एवं अन्य खर्च (मांग सूचना जारी होने के बाद आकर कोई भुगतान है, को धटानकर	₹ 94,21,000.00 ₹ 9,42,100.00 ₹ 10,000.00	सांकेतिक कब्जा
2.	ऋणीकर्ता: श्री राजकुमार सिंह स-ऋणकर्ता/ओ- 1. श्रीमती सुमन सिंह, 2. श्री धर्मेन्द्र सिंह पता- सभी निवासी एस 1/32 1ए, जय नगर कालोनी, गिल्ट बाजार, वाराणसी-221002 शाखा- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शाखा, वाराणसी	सम्पत्ति का सभी भाग जिसका मकान नम्बर एस- 21/116-एल-2, प्लॉट क्षेत्रफल- 2367 वर्ग फीट अराजी नम्बर 292 पर स्थित, मौजा- कैन्टोमेन्ट, इंगलिशिया लाईन, वार्ड- सिकरौल, परगना- शिवपुर, तहसील व जिला- वाराणसी। चौहद्दी - पूर्व: सार्वजनिक गली, पश्चिम: राम नारायण व मदन लाल अरोरा का मकान, उत्तर: जमुना प्रसाद का मकान, दक्षिण: सरकारी सड़क (उपर बताई गई चौहद्दी 24.03.2004 के विक्रय विलेख के अनुसार है।	₹ 1,57,98,932.77 + ब्याज दिनांक 30.10.2025 से एवं अन्य खर्च (मांग सूचना जारी होने के बाद आकर कोई भुगतान है, को धटानकर	₹ 3,58,83,000.00 ₹ 35,88,300.00 ₹ 10,000.00	सांकेतिक कब्जा

